न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 01/2019

प्रार्थी :–

उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (पौ0सं0),कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) जोधपुर खण्ड जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।
2. पवन यादव पुत्र बाबुलाल यादव मैनेजिंग डाइरेक्टर, मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।
3. मन्जीत कुमार पुत्र रणधीरसिंह चौधरी, ग्राम पोस्ट पोली, तहसील जुलाना, जिला जिंद, हरियाणा। टीम मैनेजर, मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।
4. रोहताससिंह पुत्र श्योनारायण विश्नोई, ग्राम पोस्ट फतेहाबाद, तहसील एवं जिला फतेहाबाद, हरियाणा। ग्रुप कोर्डिनेटर, मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।
5. प्रदीप सिंघला पुत्र प्रहलादराम, ग्राम पोस्ट नानल सिरोही, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा, मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, अलवर रोड़, बहरोड़, जिला अलवर, राजस्थान।

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 13(1), 14, 15 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत् कार्यवाही हेतु।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 10.07.2019

प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री भानाराम विश्नोई, सहायक निदेशक कृषि (पौ0 सं0) कृषि विभाग जोधपुर खण्ड जोधपुर ने यह प्रार्थना पत्र उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत् कार्यवाही हेतु पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अवैध रूप से विक्रय किये जा रहे उर्वरकों की कृषक मांगीलाल पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई, निवासी लोर्डिया तहसील फलोदी जिला

जोधपुर की शिकायर पर दिनांक 02.09.2017 को शाम 5 बजे लोर्डिया पहुँच मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, रीको क्षेत्र के पास, अलवर रोड़, बहरोड, जिला अलवर से निर्मित ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) बैच नं0 2017/004 के 50 बैग (प्रत्येक बैग 50 किलोग्राम पैकिंग) पाये गये। जिनको मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड, जिला अलवर के कार्मिक फील्ड में किसानो को अधिक पैदावार का झांसा देकर बुकिंग लेता है, जिसमें कुछ राशि एडवांस लेकर बाकी की राशि आपूर्ति के समय ली जा रही थी। कृषक भेंपाराम पुत्र गोलाराम के नाम फर्म की रसीद संख्या F-13695 दिनांक 24.08.2017 द्वारा कुल राशि 52500/– रूपये में 50 बैग बुक कर 500/– रूपये एडवांस लिये गये। कृषक को आपूर्ति किये जाने के उपरान्त शिकायत पर मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की।

मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़, जिला अलवर के टीम मैनेजर मन्जीत कुमार से जैविक खाद के बेचान हेतु अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होनें कोई अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।

जैविक खाद ग्रीन बेल्ट की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना लेने के आशय की लिखित सूचना प्रपत्र VIII में देकर नमूने आहरित किये गये। मौके पर ही मौका पर्चा, प्रपत्र–जे, प्रपत्र–क एवं प्रपत्र–सी तैयार किये गये।

मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा जैविक खाद का बिना अनुज्ञापत्र भण्डारण एवं विक्रय कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लाज 7, 14 व 15 का उल्लघंन किया है। अतः डीलर को Annexure-AA में नोटिस देकर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के 28 (1) (डी) के अनुसरण में ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) बैच नं0 2017/004 के 50 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम पैकिंग) जब्त किये गये। मौका नक्शा एवं फर्द जब्ती की कार्यवाही कर गवाहों के हस्ताक्षर लिये। मैसर्स समराथल कृषि केन्द्र, लोर्डिया तहसील फलोदी जिला जोधपुर की अभिरक्षा में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द पत्र एवं शपथ–पत्र तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर लिये एवं उर्वरक सुपुर्द किया गया।

जांच पड़ताल में सामने आया कि कम्पनी के कार्मिको द्वारा किसी स्थान पर गोदाम किराये पर लेकर जैविक खाद भण्डारित किया हुआ है। दिनांक 03.09.2017 को क्षेत्र में जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में शेरारामनगर (छीला) गांव में कृषक श्री देदाराम पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल के नलकूप पर स्थित गोदाम में ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) बैच नं0 2017–005 के 190 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम के) तथा केयर एच (हूमिक एसिड 12 प्रतिशत) बैच नं0 FA002 व FA003 के 147 लीटर मात्रा

(117 कन्टेनर 1 लीटर पैंकिग में तथा 60 कन्टेनर 500 मिलिलीटर पैंकिग में) पाई गई।

मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा जैविक खाद का बिना अनुज्ञापत्र भण्डारण एवं विक्रय कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के क्लाज 7, 14 एवं 15 का उल्लंघन किया गया। अतः डीलर को Annexure-AA में नोटिस देकर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के 28 (1) (डी) के अनुसरण में ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) बैच नं0 2017/005 के 190 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम पैकिंग) तथा केयर एच (हूमिक एसिड 12 प्रतिशत) बैच नं0 FA002 व FA003 के 147 लीटर मात्रा (147 कन्टेनर 1 लीटर पैंकिग में तथा 60 कन्टेनर 500 मिलिलीटर पैंकिग में) जब्त किये गये। मौका नक्शा एवं फर्द जब्ती की कार्यवाही कर गवाहों के हस्ताक्षर लिये। मैसर्स समराथल कृषि केन्द्र, लोर्डिया तहसील फलोदी जिला जोधपुर की अभिरक्षा में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द पत्र एवं शपथ–पत्र तैयार कर गवाहों के हस्ताक्षर लिये एवं उर्वरक सुपुर्द किया गया।

जैविक खाद के नमूनें तीन–तीन प्रतियों मे आहरित किये गये थे, जिसमें प्रत्येक नमूनें से एक भाग श्री मन्जीत कुमार को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद ली गई। नमूनों के शेष दो भागों में से एक शील्ड नमूना राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला को विश्लेषण हेतु प्रेषित करने व दूसरा शील्ड नमूना अभिरक्षा में रखने हेतु श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जोधपुर खण्ड, जोधपुर के कार्यालय में जमा कराने हेतु अपने साथ कार्यालय लेकर आये।

प्रत्येक नमूने के एक–एक भाग को इस कार्यालय के पत्रांक 1862–64 दिनांक 11.09.2017 द्वारा श्रीमान उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण), राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, पावटा जोधपुर को भेजा गया एवं एक–एक सील बन्द नमूना सुरक्षित रेफरी नमूने के तौर पर रखने हेतु श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड जोधपुर के कार्यालय में जमा करवाया गया।

राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, पावटा जोधपुर द्वारा अवगत कराया कि उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 में ग्रीन बेल्ट या सॉयल कन्डीशनर के नाम से कोई उर्वरक नहीं होने के कारण जांच उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 के तहत नहीं किया जा सकता है। कृषक भेपाराम पुत्र गोलाराम विश्नोई, निवासी लोर्डिया द्वारा रिक्वेसट सेम्पल प्रयोगशाला को भिजवाया गया। राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, पावटा, जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक 487 दिनांक 25.09.2017 उपलब्ध कराई गई। उक्त खाद में 1.12 प्रतिशत नाईट्रोजन तथा 1.42 प्रतिशत फॉस्फोरस पाई गई, जिससे उर्वरक होने की पुष्टि हुई है।

इस कार्यालय के पत्रांक स.नि.कृ./2017–18/एसपी–2/spl–2 दिनांक 02.09.2017 द्वारा मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़, जिला अलवर को उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 14 एवं 15 का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका प्रत्युत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।

उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (पौ.सं.) जोधपुर द्वारा दिनांक 3.9.2017 को पुलिस थाना, फलोदी में मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़, जिला अलवर एवं कार्मिकों के विरूद्ध उर्वरक आदेश नियन्त्रण 1985 की धारा 14 एवं 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी (एफ. आई. आर.) दर्ज कराई गई। पुलिस थाना, फलोदी द्वारा एफ.आई.आर. नं.0335/2017 एवं 0336/2017 द्वारा प्रकरण दर्ज किये गये।

मैसर्स फ्रक्सन एग्रो प्राईवेट लिमिटेड, बहरोड़, जिला अलवर एवं कार्मिकों द्वारा जैविक खाद/उर्वरकों का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 7, 14 एवं 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है।

विभागीय पैरोकार द्वारा यह इस्तगासा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां प्रस्तुत करने पर श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र क्रमांक/डीएम/रीडर/18/1927 दिनांक 28.12.2018 को सुनवाई हेतु स्थानान्तरण करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड जारी किये गये। नोटिस के लिफाफों पर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्राप्तकर्ता की कोई जानकारी प्राप्त नहीं।

विभागीय पैरोकार द्वारा मौखिक में कथन किया गया कि अप्रार्थीगण ने अपनी फर्म का नाम बदल दिया है इसलिए नोटिस बार–बार जारी होने पर भी तामिल नहीं हो पा रहे है। जो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिये भेजे गये थे उन पर भी यही रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्राप्तकर्ता की कोई जानकारी प्राप्त नहीं। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित जैविक खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत राजसात् किये जाने का आदेश फरमावें। साथ ही उक्त उर्वरक को उचित माध्यम से जरूरतमंद किसानो को बिकवाकर राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

उक्त तथ्यों के विश्लेषण यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप जैविक खाद/उर्वरक का भण्डारण किया जा रहा था, जो उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985, के उपाबंध 7 का उल्लघन किया गया है। जैविक खाद/उर्वरकों का अवैध रूप

से विक्रय कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 14 एवं 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है।

—:आदेश:—

अतः उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (पौ.स.) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) जोधपुर खण्ड जोधपुर का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत जब्तसुदा ग्रीन बेल्ट (सॉयल कन्डीशनर) बैच नं0 2017 / 005 के 190 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम पैकिंग) तथा केयर एच (हूमिक एसिड 12 प्रतिशत) बैच नं0 FA002 व FA003 के 147 लीटर मात्रा (117 कन्टेनर 1 लीटर पैंकिग में तथा 60 कन्टेनर 500 मिलिलीटर पैंकिग में) को राजसात् (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा उक्त ग्रीन बेल्ट व केयर एच को उचित माध्यम से जरूरतमंद किसानो को विक्रय कर प्राप्त राशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करवाई जावें। आदेश के पालना की रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)